


भारतीय न्याय

दस
रुपये

रु. 10



Rs



NOTARY

INDIA NG

ICIA

प्रबन्धक
लालसर कृषक महाविद्यालय
टकटैउवा रामपुर

UTTAR PRADESH सविदा-पत्र

05AB 530114

श्रीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध लालसर कृषक महाविद्यालय टकटैउवा
रामपुर मऊ में स्ववित्तपोषित योजना अन्तर्गत कला संचार की. ए. की कक्षाओं में
नियुक्ति कालचन्द प्रसाद पुत्र श्री मरावीर के साथ

अथवा 5 वर्ष सविदा करार।

1 - शासनादेश संख्या 1960/सतर-2-97-2-85-97 दिनांक 11/11/87 एवं शासनादेश
संख्या 2443/सतर 2-2000-2-85-97 दिनांक 9 मई 2000 में दिये गये प्रविष्टियों के अन्तर्गत

हिन्दी विभागा में दिनांक 22-9-10

2 - यह करार आज दिनांक 1-11-10 को प्रथम पक्ष कालचन्द प्रसाद
एवं द्वितीय पक्ष श्री सूर्यभान यादव प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धक लालसर कृषक महाविद्यालय
टकटैउवा रामपुर, मऊ के बीच हुआ।

3 - महाविद्यालय ने प्रथम पक्ष से स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु कालचन्द प्रसाद को
की अवधि के लिए सविदा किया है।

दिनांक 22-9-10 से प्रारम्भ होगी और एतद द्वारा सविदावित्त की सेवा
समाप्त की जा सकेगी।

निवेदन शिक्षक संस्था के प्रबन्धक को तीन माह की नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे।
शिक्षक के कार्य से सन्तुष्ट न होने पर अनुशासन की कार्यवाही का संयम से कार्य
सकता है।

शिक्षक के मध्य शिक्षण शुल्काव का 10 से 15 प्रतिशत वेतन में कम से कम अनुशासन
सकता है।



- 8 - नियुक्त शिक्षक को आकस्मिक अवकाश / पीएल / अस्वस्थता अवकाश परिनियमावली के अनुसार देव होगा।
- 9 - नियुक्त शिक्षक सार्वजनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त ऐसे कर्तव्य का भी पालन करेगा जो उसे प्रबन्ध तंत्र द्वारा महाविद्यालय के अतिरिक्त प्रशासन या कार्यकलाप के सम्बन्ध में सौंपा जायेगा।
- 10 - नियुक्त शिक्षक को शिक्षक आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 11 - नियुक्त शिक्षक पुनः अपनी नियुक्ति हेतु किसी दावा या किसी न्यायालय में किसी प्रकार रिट याचिका दाखिल नहीं करेगा।
- 12 - उपरोक्त शिक्षक का अशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड) नियमानुसार जमा किया गया है।

1-11-19
हस्ताक्षर शिक्षक

(Signature)



बीस रुपये

Rs. 20

रु. 20



CANCELLED
NOTARIAL

IND



AL

NOTARY

R. K. Verma

सविदा पत्र
लालसर कृष्ण महाविद्यालय
एकटेक

साक्षक

श्री रघुदर सिंह पूर्वविल विरवविद्यालय जीनपुर से सम्बद्ध लालसर कृष्ण महाविद्यालय एकटेकका एनपुर मठ कता संकाय (बी० ए०) कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्त सन्तोष के साथ सविदा कर्त।

1- शासनादेश संख्या 1980/सत्तर -2-97-2-85-97 दिनांक 11/11/87 एवं शासनादेश संख्या 2443/सत्तर 2-2000-2-85-97 दिनांक 09/01/2000 में दिये गये इतिवृत्तों के अंतर्गत सन्तोष को नियुक्त किया गया है।

2- यह करार आज दिनांक 27-10 को प्रथम पक्ष के प्रतिनिधि सुरेश के माध्यम से प्रबन्धतन्त्र लालसर कृष्ण महाविद्यालय एकटेकका एनपुर मठ के बीच हुआ।

3- महाविद्यालय ने प्रथम पक्ष से स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अध्यापक कार्य हेतु सन्तोष की अवधि के लिए सविदा किया है।

4- नियुक्त दिनांक 27-10 से प्रारम्भ होगी और एतद् द्वारा सविदा किया गया है।

5- नियुक्त शिक्षक संस्था के प्रबन्धतन्त्र को तीन माह की नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।

6- प्रबन्धतन्त्र शिक्षक के कार्य से सन्तुष्ट न होने पर अनुशासन की कार्यवाही कर सकता है।

7- नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों के मध्य शिक्षण गुणवत्ता का 75 से ऊपर प्रतिशत बोनस योजना से प्रदान किया जायेगा।

27-10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2075

संविदा पत्र

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध लालसर कृषक महाविद्यालय टकटोऊआ रामपुर मऊ कला संकाय (बी० ए०) कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्त श्री देवेन्द्र पाण्डेय के साथ संविदा करार।

- 1- शासनादेश संख्या 1980/सत्तर -2-97-2-85-97 दिनांक 11-11-80 एवं शासनादेश संख्या 2443/सत्तर 2-2000-2-85-97 दिनांक 9मई 2000 में दिए गए प्रतिबन्धों के अधीन श्री देवेन्द्र पाण्डेय प्रवक्ता की नियुक्त शिक्षक विभाग में दिनांक 1-7-2008... से की गयी है।
- 2- यह करार आज दिनांक 1-7-2008... को प्रथम पक्ष श्री देवेन्द्र पाण्डेय एवं द्वितीय पक्ष श्री सुर्यमान यादव प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धतन्त्र लालसर कृषक महा विद्यालय टकटोऊआ रामपुर मऊ के बीच हुआ।
- 3- महाविद्यालय ने प्रथम पक्ष से स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अध्यापक नियुक्त हेतु 3/5 वर्ष की अवधि के लिए संविदा किया है।
- 4- नियुक्त दिनांक 1-7-2008... से प्रारम्भ होगी और एतद् द्वारा उल्लिखित शर्तों से समाप्त की जा सकेगी।
- 5- नियुक्त शिक्षक संस्था के प्रबन्धतन्त्र को तीन माह की नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।
- 6- प्रबन्धतन्त्र शिक्षक के कार्य से सन्तुष्ट न होने पर अनुशासन की कार्यवाही कर संस्था से हटा सकता है।
- 7- नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों के मध्य शिक्षाण गुल्काय का 75 से 80 प्रतिशत वेतन के रूप में भुगतान किया जायेगा।

(Faint blue ink stamp or signature at the bottom right corner)